विभाग का नाम	:	व्यापार एवं बिक्री कर विभाग
विभाग का पता	:	व्यापार भवन, तीसरा तल, आईटीओ, नई दिल्ली
अतारांकित प्रश्न संख्या	:	112
दिनांक	:	20.03.2018
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री अजय दत्त

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है की ज़न शिकायत निगरानी प्रणाली के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक व्यापार एवं कर विभाग से सम्बंधित 1689 शिकायतें दर्ज की गई जिसमे से 42 शिकायतें अभी भी लंबित हैं.	जन शिकायत निगरानी प्रणाली के द्वारा दिनांक 10.01.2014 से 27.02.2018 तक व्यापार एवं कर विभाग से सम्बंधित 1691 शिकायतें दर्ज की गई जिसमे से 15 शिकायतें अभी लंबित हैं।
ख	यदि हाँ तो क्या यह भी सत्य है की इनमे से 26 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं.	हाँ, यह सत्य है कि 27.02.2018 तक 26 शिकायतें निर्धारित निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित थीं परन्तु दिनांक 15.03.2018 तक इन सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया हैं। जिस कारण आज की तिथि में इनकी संख्या शून्य (0) हो गई है।
ग	यदि हाँ तो इसका क्या कारण है?	सभी प्राप्त शिकायतें संबंधित जोन/शाखा प्रमुखों को उचित कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैं. जिसकी आगे की कार्यवाही/छानबीन वार्ड प्रमुख द्वारा संबंधित डीलर के पास की जाती है, जिसमे कुछ डीलर से संपर्क ना होने की वजह से कुछ शिकायतें लंबित रह जाती हैं। जिसके लिए समय-समय पर शाखा/जोन प्रमुखों को विदित करवाया जाता है एवं दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।
घ	क्या यह भी सत्य है की 637 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/ कार्यवाही को संतोषजनक नहीं पाया गया है?	जी हाँ, यह सत्य है।

(AC(HR))

Commissioner, VAT/GST
Deptt. of Trade & Taxes
Govt. of N.C.T. of Delhi
Vyapar Bhawan, IP Estate
New Delhi-110002

Scanned by CamScanner

ङ	यदि हाँ तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है	यदि कोई शिकायत पुनः प्राप्त होती है तो उस पर पुनः कार्यवाही के निर्देश दिए जाते हैं।
च	क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारीयों को निर्देश जारी किये गए	जी हाँ, यह सत्य है।
छ	इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं	इस सन्दर्भ में विभाग में वरिष्ठ अधिकारीयों एवं जोन/शाखा प्रमुखों की समय-समय पर मीटिंग आयोजित की जाती है एवं सभी लंबित शिकायतों के तुरंत निवारण हेतु निर्देश जारी किये जाते हैं।
ज	निवारण के लिए ये शिकायतें किन-किन अधिकारीयों के पास और कब-कब भेजी गई, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें.	विवरण सलंग्न है।
झ	सम्बंधित अधिकारीयों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें;	सम्बंधित अधिकारियों द्वारा निवारण के लिए उठाये गए कदमो का विवरण जन शिकायत निगरानी प्रणाली की वेबसाइट पर प्रत्येक शिकायत के साथ उसके आईडी पर अपलोड कर दिया जाता है। इन्ही कदमो के तहत विभाग के प्रयासो से समय से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या को 15-03-2018 तक शून्य कर दिया गया है ।
ट	इन शिकायतों का निवारण कितने समय में हो जायेगा?	दिनांक 15.03.2018 तक इन सभी लंबित शिकायतों का निवारण विभाग द्वारा कर दिया गया हैं।

(AC [HR])

Commissioner, VAT/GST
Deptt. of Trade & Taxes
Govt. of N.C.T. of Delhi
Vyapar Bhawan, IP Estate
New Delhi-110002

Scanned by CamScanner